उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय

सैफई, इटावा (उ0प्र0)–206130

संयुक्त पैरामेडिकल एवं नर्सिंग प्रवेश परीक्षा (CPNET-2018) की प्रथम काउंसिलिंग एवं प्रवेश सम्बन्धी सूचना

विश्वविद्यालय के पैरामेडिकल विज्ञान महाविद्यालय एवं नर्सिंग महाविद्यालय में संचालित विभिन्न डिग्री एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में सत्र 2018–19 में प्रवेश हेतु काउंसिलिंग एवं प्रवेश प्रक्रिया निम्नलिखित समय सारणी के अनुसार सम्पन्न की जायेगी–

काउंसिलिंग स्थल : विश्वविद्यालय आडिटोरियम (सभागार)

क्र. सं0	आमंत्रित अभ्यर्थी	पंजीकरण एवं प्रमाण पत्रों का सत्यापन (प्रातः 09.00 बजे से मध्यान्ह 12.00 बजे तक)	काउंसिलिंग एवं प्रवेश (अपरान्ह 01.00 बजे से 05.00 बजे तक)
1.	ओवर-आल रैंक 01 से 100 तक के सभी श्रेणी (GN, OBC, SC, ST) एवं उपश्रेणी के अभ्यर्थी।	08–08–2018 (बुधवार)	08–08–2018 (बुधवार)
2.	ओवर-आल रैंक 101 से 250 तक के सभी श्रेणी (GN, OBC, SC, ST) एवं उपश्रेणी के अभ्यर्थी।	09–08–2018 (गुरूवार)	09–08–2018 (गुरूवार)
3.	ओवर-आल रैंक 251 से 400 तक के सभी श्रेणी (GN, OBC, SC, ST) एवं उपश्रेणी के अभ्यर्थी।	10–08–2018 (शुक्रवार)	10–08–2018 (शुक्रवार)
4.	ओवर-आल रैंक 401 से 700 तक के सभी श्रेणी (GN, OBC, SC, ST) एवं उपश्रेणी के अभ्यर्थी।	11–08–2018 (शनिवार)	11–08–2018 (शनिवार)
5.	ओवर-आल रैंक 701 से 1000 तक के सभी श्रेणी (GN, OBC, SC, ST) एवं उपश्रेणी के अभ्यर्थी।	12–08–2018 (रविवार)	12–08–2018 (रविवार)
6.	• (GN, OBC, SC, ST) की उपश्रेणी (PH, FF एवं EA) के ओवर-आल रैंक 1001 से अंतिम रैंक तक के सभी अभ्यर्थी। • ST श्रेणी एवं उपश्रेणी के ओवर-आल रैंक 1001 से अंतिम रैंक तक के सभी अभ्यर्थी।	13–08–2018 (सोमवार)	13–08–2018 (सोमवार)

GN–सामान्य/अनारक्षित, **OBC**–अन्य पिछड़ा वर्ग, **SC**–अनुसूचित जाति, **ST**–अनुसूचित जनजाति, **PH**–दिव्यांग, **FF**–स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, **EA**–भूतपूर्व सैनिक के पुत्र या पुत्री)

अतिमहत्वपूर्ण निर्देश

1. **काउंसिलिंग हेतु अलग से कोई सूचना (कॉल लेटर) डाक द्वारा प्रेषित नहीं की जायेगी।**
2. **उपरोक्त दर्शायी गयी तिथियों के अनुसार मात्र आमंत्रित किये गये अभ्यर्थियों का ही काउंसिलिंग हेतु पंजीकरण किया जायेगा। तिथिवार आमंत्रित अभ्यर्थियों के अतिरिक्त अन्य किसी अभ्यर्थी का पंजीकरण नहीं किया जायेगा।**
3. **अभ्यर्थियों को पंजीकरण के पश्चात मेरिट रैंक के क्रम में बुलाया जायेगा तथा अभ्यर्थी की मेरिट रैंक पर उपलब्ध पाठ्यक्रमों में से उसके द्वारा चुनी गयी उपलब्ध पाठ्यक्रम की उक्त सीट पर ही आवंटन किया जायेगा।**
4. **पंजीकरण होने का तात्पर्य यह नहीं होगा कि उसको प्रवेश दिया जा रहा है। अभ्यर्थी की मेरिट रैंक पर उसकी अर्हतानुसार सीट उपलब्ध न होने की दशा में उसे प्रवेश नहीं दिया जायेगा।**
5. **आमंत्रित अभ्यर्थी प्रातः 09.00 बजे से मध्यान्ह 12.00 बजे तक पंजीकरण एवं प्रमाण–पत्रों की जाँच करायेंगे तत्पश्चात् अर्ह पाये जाने पर उसी दिन 01.00 बजे से काउंसिलिंग करायेंगे तथा सीट आवंटित होने पर प्रवेश प्राप्त करेंगे। अभ्यर्थियों को विशेष रूप से सूचित किया जाता है कि प्रत्येक स्थिति में अपना पंजीकरण मध्यान्ह 12.00 बजे से पूर्व करवाना सुनिश्चित करें जिससे वह काउंसिलिंग प्रक्रिया में समय से प्रतिभाग कर सकें।**
6. **अभ्यर्थियों को काउंसिलिंग हेतु अपने समस्त प्रमाण पत्रों को मूल रूप में लाना अनिवार्य है, अन्यथा की दशा में अभ्यर्थी को काउंसिलिंग में प्रतिभाग नहीं करने दिया जायेगा।**
7. **पंजीकरण हेतु रु0 500/– नगद एवं सिक्योरिटी डिपोजिट रु0 5000/– का डिमाण्ड ड्राफ्ट बनवा कर लाना अनिवार्य है, अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थी को काउंसिलिंग में प्रतिभाग नहीं करने दिया जायेगा।**

काउंसिलिंग में भाग लेने हेतु अभ्यर्थियों के लिये सामान्य निर्देश

काउंसिलिंग शुल्कः

- ❖ काउंसलिंग हेतु शुल्क रू0 500/– (रू0 पाँच सौ मात्र) नगद (प्रति काउंसलिंग) निर्धारित किया गया है। काउंसिलिंग शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं होगा। अतः उपलब्ध सीटों को ध्यान में रखते हुए अपना पंजीकरण करायें।
- ❖ काउंसलिंग शुल्क जमा होने के पश्चात् यदि अभ्यर्थी को कोई सीट आवंटित नहीं होती है उस दशा में भी काउंसिलिंग शुल्क वापस नहीं होगा।
- ❖ काउंसलिंग हेतु सिक्योरिटी डिपोजिट रू0 5,000/– (रू0 पाँच हजार मात्र) का डी0डी0 (ड्राफ्ट) निर्धारित किया गया है जो कि in favour of **"Finance Officer Paramedical A/c UPUMS"** Payable at **Saifai** के नाम देय होगा। अतः अभ्यर्थी को सिक्योरिटी डिपोजिट रू0 5,000/– का डी0डी0 (ड्राफ्ट) बनवाकर अपने साथ लाना होगा।
- ❖ अभ्यर्थी द्वारा आवंटन प्राप्त करने एवं प्रवेश प्रक्रिया पूरी कर लेने की दशा में यह सिक्योरिटी डिपोजिट उसके काशनमनी के रूप में समायोजित कर ली जायेगी।
- ❖ जिन अभ्यर्थियों द्वारा आवंटन प्राप्त करने के पश्चात् प्रवेश नहीं लिया जायेगा उस दशा में उक्त सिक्योरिटी डिपोजिट जब्त कर ली जायेगी।
- ❖ यदि अभ्यर्थी को काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन के पश्चात् सीट आवंटित नहीं होती है, उस दशा में उक्त सिक्योरिटी डिपोजिट का डी0डी0 (ड्राफ्ट) अभ्यर्थी को मूल रूप में वापिस कर दिया जायेगा।

पंजीकरण हेतु रु0 500/– नगद एवं सिक्योरिटी डिपोजिट रु0 5000/– का डिमाण्ड ड्राफ्ट लाना अनिवार्य है, अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थी को काउंसिलिंग में प्रतिभाग नहीं करने दिया जायेगा।

काउंसिलिंग प्रक्रियाः

- ❖ प्रतिदिन निर्धारित रैंक के अतिरिक्त किसी अन्य रैंक के अभ्यर्थी का पंजीकरण नहीं किया जायेगा।
- ❖ श्रेणी विशेष की निर्धारित सीटे समाप्त होने पर उस श्रेणी की काउंसिलिंग समाप्त कर दी जायेगी।
- ❖ काउंसिलिंग बोर्ड का निर्णय प्रत्येक प्रकरण में अंतिम व मान्य होगा।
- ❖ **काउंसिलिंग में आमंत्रित किये गये अभ्यर्थियों को निम्नवत् प्रलेखों (Check List of Documents) की मूल एवं एक–एक छायाप्रति (स्वतः प्रमाणित) सहित, नियत स्थान तथा समय पर स्वयं उपस्थित होना आवश्यक है।**

1. प्रवेश–पत्र मूल रूप में।
2. परीक्षाफल/मेरिट रैंक की प्रति।
3. आधार कार्ड की प्रतिलिपि।
4. हाईस्कूल या समकक्ष का मूल प्रमाण–पत्र (जन्मतिथि के सत्यापन हेतु)।
5. अर्हता परीक्षा (10+2) उत्तीर्ण होने का मूल प्रमाण–पत्र तथा अंकतालिका।
6. आवेदन–पत्र के साथ दिये फोटोग्राफ जिस निगेटिव से बने हों उसी निगेटिव से बने हुए 4 (चार) फोटोग्राफ।
7. उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होने का निवास प्रमाण–पत्र (यदि लागू हो)।
8. जाति प्रमाण–पत्र (यदि सामान्य श्रेणी के न हों) मूल रूप में (**Original**)।
9. उपश्रेणी (हॉरिजॉटल) आरक्षण का प्रमाण–पत्र (यदि लागू हो)।
10. आय प्रमाण–पत्र।
11. रू0 5,000/– का डी0डी0 (ड्राफ्ट)।

अभ्यर्थियों को काउंसिलिंग हेतु अपने समस्त प्रमाण पत्रों को मूल रूप में लाना अनिवार्य है, अन्यथा की दशा में अभ्यर्थी को काउंसिलिंग में प्रतिभाग नहीं करने दिया जायेगा।

- ❖ काउंसिलिंग नियत दिन के अंत तक पूर्ण न होने पर अगले दिन भी जारी रह सकती है। अभ्यर्थी को आने जाने, अपने रहने, खाने पीने की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।
- ❖ पाठ्यक्रमों की सीटों की संख्या में काउंसिलिंग के समय परिवर्तन हो सकता है।
- ❖ अभ्यर्थियों को मेरिट सूची में उनके ओवरआल रैंक (Combined Overall Rank) के अनुसार बुलाया जायेगा और पाठ्यक्रमों का आवंटन उस समय उपलब्ध रिक्त सीटों के आधार पर किया जायेगा।
- ❖ **काउंसिलिंग प्रक्रिया में उपलब्ध कुल सीटों से ज्यादा अभ्यर्थी बुलाये जा सकते हैं परन्तु बुलाये जाने का तात्पर्य यह नहीं होगा कि उसको प्रवेश दिया जा रहा है। अभ्यर्थी की मेरिट रैंक पर उसकी अर्हतानुसार सीट उपलब्ध न होने की दशा में उसे प्रवेश नहीं दिया जायेगा।**
- ❖ **यदि कोई अभ्यर्थी स्वयं काउंसिलिंग के निर्धारित दिन व समय में उपस्थित नहीं होता है तो वो केवल उसी काउंसिलिंग में आवंटन से वंचित होगा और अगली काउंसिलिंग में भाग लेने के लिए अर्ह रहेगा। उसी दिन परन्तु विलम्ब से आने पर तत्समय उपलब्ध सीटों में से ही आवंटन प्राप्त करने का अधिकार होगा। आवंटन हेतु अभ्यर्थी का स्वयं उपस्थित होना अनिवार्य है।**

आरक्षणः–

उत्तर प्रदेश शासन के नियमानुसार सी.पी.एन.ई.टी.–2018 की प्रवेश परीक्षा के माध्यम से भरी जाने वाली पाठ्यक्रमवार उपलब्ध कुल सीटों पर निम्नवत ''वर्टिकल'' आरक्षण प्रदान किया जायेगा :

1.	अनुसूचित जाति (SC) के अभ्यर्थी	21 प्रतिशत
2.	अनुसूचित जन जाति (ST) के अभ्यर्थी	02 प्रतिशत
3.	अन्य पिछड़े वर्गों (OBC) के अभ्यर्थी	27 प्रतिशत

नोटः– अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के जाति प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप पर शासन के अद्यावधिक दिशा–निर्देशों के अनुरूप होना चाहिए। अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र दिनांक 01 अप्रैल, 2018 या उसके बाद का निर्गत होना चाहिए।

विभिन्न श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए निम्नवत ''हॉरिजॉटल'' आरक्षण प्रदान किया जायेगाः–

1.	स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों (FF) के लिए	02 प्रतिशत
2.	भूतपूर्व सैनिक (युद्ध में अपंग/सेवा निवृत्त/शहीद) के पुत्र/पुत्री (EA) के लिए	02 प्रतिशत
3.	दिव्यांग (PH) अभ्यर्थियों के लिए	05 प्रतिशत*

* The Rights of Persons with Disabilities Act-2016 के अनुसार

नोटः–THE RIGHT OF PERSONS WITH DISABILITIES ACT, 2016 के अनुसार दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थियो को 5 प्रतिशत आरक्षण अनुमन्य किया जाना है। वार्षिक स्वीकृत प्रवेश क्षमता की 5 प्रतिशत सीटे सी.पी.एन.ई.टी.–2018 की मेरिट सूची के आधार पर विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के उपबंधो के अनुसार बैंच मार्क विकलांगता वाले अभ्यर्थियों द्वारा भरी जायेगी। यदि विकलांग व्यक्तियों के लिए विशिष्ट वर्ग में आरक्षित सीटों के अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता होने पर उन सीटों को सम्बन्धित श्रेणी में वार्षिक स्वीकतृ सीटों में शामिल किया जायेगा।

- शासनादेश संख्या–22सी0एम0(1)/26–3–13 दिनांक 10.06.2013 में उल्लिखित व्यवस्थानुसार विमुक्त जातियों को विमुक्त जाति के रूप में कोई आरक्षण अनुमन्य नहीं है, अपितु विमुक्त जाति का अभ्यर्थी जिस श्रेणी के अन्तर्गत होगा उसे उसी श्रेणी का लाभ अनुमन्य होगा।
- अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के समय मूल (Original) जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों का जाति प्रमाण–पत्र **दिनांक 01 अप्रैल, 2018** अथवा उसके बाद का जारी हुआ ही वैद्य माना जायेगा।

प्रशिक्षण शुल्कः – पैरामेडिकल विज्ञान महाविद्यालय एवं नर्सिंग महाविद्यालय में संचालित विभिन्न डिग्री एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रमों हेतु प्रशिक्षण शुल्क निम्न तालिका के अनुसार देय होगा।

<u>अनावासीय छात्रों हेतु (Day Scholar)</u>

क्र.सं.	विवरण	डिग्री पाठ्यक्रम (वार्षिक)	डिप्लोमा पाठ्यक्रम (वार्षिक)
1.	प्रवेश शुल्क (केवल प्रवेश के समय)	रु0 2,000/–	रु0 2,000/–
2.	प्रशिक्षण शुल्क*	रु0 22,500/–	रु0 18,000/–
3.	काशन मनी (रिफन्डेबल) (केवल प्रवेश के समय)	रु0 5,000/–	रु0 5,000/–
	कुल शुल्क	**रु0 29,500/–**	**रु0 25,000/–**

<u>आवासीय छात्रों हेतु (Hosteler)</u>

क्र.सं.	विवरण	डिग्री पाठ्यक्रम (वार्षिक)	डिप्लोमा पाठ्यक्रम (वार्षिक)
1.	प्रवेश शुल्क (केवल प्रवेश के समय)	रु0 2,000/–	रु0 2,000/–
2.	प्रशिक्षण शुल्क*	रु0 22,500/–	रु0 18,000/–
3.	काशन मनी (रिफन्डेबल) (केवल प्रवेश के समय)	रु0 5,000/–	रु0 5,000/–
4.	छात्रावास (डबल शेयरिंग) व विद्युत उपभोग शुल्क	रु0 4,800/–	रु0 4,800/–
	मैस शुल्क (रू0 1,800/– प्रति माह की दर से अग्रिम 11 माह हेतु)	रु0 19,800/–	रु0 19,800/–
	कुल शुल्क	**रु0 54,100/–**	**रु0 49,600/–**

<u>नोटः</u>– ***शासनादेश सं0 622/71–4–18–एन–31/2012 दिनांक 06 जून, 2018 द्वारा प्रशिक्षण शुल्क में संशोधन किया गया है।**

- प्रवेश प्राप्त करने के पश्चात यदि अभ्यर्थी प्रवेश निरस्त करने हेतु अनुरोध करता है तो शुल्क वापस करने के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय के नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त शुल्क में किसी भी प्रकार की कोई भी छूट अनुमन्य नहीं है।